RNI NO. : MAHHIN/2019/77511 | मुंबई : रविवार 05 जनवरी 2025 | वर्ष 06 | अंक 263 | संपादक : फैसल शेख | पृष्ठ : 4 | कीमत : 03 रुपये

दैनिक रोकठोक लेखनी

खबरें बे-रोकटोक

मुंबई: अग्नि सुरक्षा को बढ़ाने के लिए 90 हेक्टेयर खुले स्थानों के भीतर दो अग्निशमन केंद्रों का निर्माण

Page - 4

Read E Newspaper at Paper Boy App, Magzter App, Jio News App, Paytm App, Dailyhunt App

बांद्रा इलाके में आग लगने से 20 से 25 झोपड़ियां जलकर राख

मुंबई : बांद्रा इलाके में शनिवार दोपहर को भीषण आग लग गई. यह आग ज्ञानेश्वर नगर की ओएनजीसी कॉलोनी में लगी. देखते ही देखते आग ने विकराल रूप ले लिया. इसके कारण 20 से 25 झोपड़ियां जलकर राख हो गई. आग लगने के कारण मौके पर अफरातफरी मच गई. हालांकि इस हादसे में कोई भी शख्स घायल नहीं हुआ है. आग लगने की सूचना के बाद मौके पर फायर ब्रिगेड की गाड़ियां पहुंची. मौके पर आग बुझाने के प्रयास किए जा रहे हैं. अभी तक हादसे के कारणों का पता नहीं चल सका है.

बैंक धोखाधड़ी मामले में ईडी का तलाशी अभियान
मुंबई और दिल्ली में 14 स्थानों पर छापेमारी

श्री प्रतिभा इंडस्ट्रीज लिमिटेड और अन्य के खिलाफ तलाशी अभियान

मुंबई : प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने मुंबई और दिल्ली में 14 स्थानों पर छापेमारी की। ईडी ने बताया कि बैंक धोखाधड़ी मामले में श्री प्रतिभा इंडस्ट्रीज लिमिटेड और अन्य के खिलाफ तलाशी अभियान चलाया गया। इस कार्रवाई में बैंक जमा और म्यूचुअल फंड समेत 5.40 करोड़ रुपये की संपत्ति फ्रीज की गई है।

ईडी के मुताबिक, केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) द्वारा मे. प्रतिभा इंडस्ट्रीज लिमिटेड, अजीत कुलकर्णी और अन्य के खिलाफ दर्ज मामलों के आधार पर मामले की जांच कर रही है।

बैंक ऑफ बड़ौदा ने इस मामले में बैंकिंग समूह से 4957 करोड़ रुपये की धोखाधड़ी करने के लिए सीबीआई में शिकायत दर्ज कराई थी।

आरोप है कि मे. प्रतिभा इंडस्ट्रीज लिमिटेड और उसके निदेशकों ने बैंकों को नुकसान पहुंचाने की साजिश रची और फर्जी लेनदेन के जरिए धोखाधड़ी की रकम को डायवर्ट किया। जिसके जरिए संदिग्ध थर्ड पार्टी ट्रांजैक्शन कर फंड डायवर्ट कर अचल संपत्तियां खरीदी गईं। इन संपत्तियों की खरीद से जुड़े संदिग्ध दस्तावेजों की जांच चल रही है। ईडी इस मामले की जांच कर रहा है।

मुंबई : ऑनलाइन ठगी करने वाले अपराधियों का पसंदीदा प्लेटफॉर्म है वाट्सएप

मुंबई : साइबर अपराधी लोगों को ठगने के लिए नए-नए तरीके अपना रहे हैं। कई बार तो उनके तरीके हैरान कर देने वाले होते हैं।

वहीं, साइबर अपराध को लेकर केंद्रीय गृह मंत्रालय ने रिपोर्ट जारी की है जिसमें बताया गया है कि वाट्सएप ऑनलाइन ठगी करने वाले अपराधियों का पसंदीदा प्लेटफॉर्म है। केंद्रीय गृह मंत्रालय की नवीनतम रिपोर्ट के अनुसार वर्ष २०२४ के पहले तीन महीनों में वाट्सएप के माध्यम से साइबर धोखाधड़ी के संबंध में कुल ४३,७९७ शिकायतें प्राप्त हुईं, इसके बाद टेलीग्राम के खिलाफ २२,६८० और इंस्टाग्राम के खिलाफ १९,८०० शिकायतें मिलीं।

भारत में अवैध ऋण देने वाले ऐप लॉन्च करने के लिए संगठित साइबर अपराधियों द्वारा प्रायोजित फेसबुक विज्ञापनों का बड़े पैमाने पर उपयोग किया जाता है। इसमें आगे लिखा है, ऐसे लिंक को सक्रिय रूप से पहचाना जाता है और आवश्यक कार्रवाई के लिए फेसबुक पेजों के साथ-साथ फेसबुक के साथ साझा किया जाता है। वित्तीय धोखाधड़ी की तत्काल रिपोर्टिंग और धोखेबाजों द्वारा धन की हेराफेरी को रोकने के लिए आईफोरसी के तहत 'सिटीजन फाइनेंशियल साइबर प्रॉड रिपोर्टिंग एंड मैनेजमेंट सिस्टम' लॉन्च किया गया है।

वार्षिक केंद्रीय गृह मंत्रालय रिपोर्ट २०२३-२४ में कहा गया है कि साइबर धोखेबाज इन अपराधों को शुरू करने के लिए गूगल सेवा प्लेटफॉर्मों का उपयोग कर रहे हैं। इसमें गूगल एड प्लेटफॉर्म का ज्यादा उपयोग हो रहा है क्योंकि सीमा पार से भी विज्ञापन द्वारा साइबर अपराध को अंजाम दिया जा सकता है।

शाहपुर : ग्राम पंचायत अधिकारी 3,000 रुपये की रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार

शाहपुर : वरस्कोल ग्रुप ग्राम पंचायत के ग्राम पंचायत अधिकारी सुरेश गणेश राठौड़ को ठाणे भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो ने 3,000 रुपये की रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। उन पर लंबित कार्य के संबंध में पत्र जारी करने के लिए रिश्वत की रकम स्वीकार करने का आरोप है। सुरेश गणेश राठौड़ (41) शाहपुर के पंडित नाका क्षेत्र में रहते हैं। वे शाहपुर के वरस्कोल ग्रुप ग्राम पंचायत में ग्राम पंचायत अधिकारी के रूप में काम करते हैं।

सुरेश ने उनसे लंबित कार्य के संबंध में शिकायतकर्ता को पत्र देने के लिए 5,000 रुपये की मांग की। शिकायतकर्ता ने 1 जनवरी को ठाणे भ्रष्टाचार निरोधक विभाग में शिकायत दर्ज कराई। उसके आधार पर, पुलिस अधीक्षक शिवराज पाटिल के मार्गदर्शन में एक पुलिस दल ने 2 जनवरी को शिकायत का सत्यापन किया। यह पता चला कि सुरेश ने लंबित कार्य के संबंध में पत्र प्रदान करने के लिए 5,000 रुपये की मांग की थी और समझौता करने के बाद 3,000 रुपये लेने पर सहमत हुआ था। इसके बाद 3 जनवरी को पुलिस की एक टीम ने जाल बिछाया और सुरेश को शिकायतकर्ता से 3,000 रुपये की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों पकड़ लिया, ऐसा ठाणे भ्रष्टाचार निरोधक विभाग ने बताया।

हाजीअली में बन रही है चार मंजिला भूमिगत पार्किंग...

मुंबई : सी कोस्टल रोड पर यात्रा करनेवाले मोटर चालकों के लिए अब हाजी अली में एक नई सुविधा मिलनेवाली है। वरली से मरीन ड्राइव तक के सफर में पार्किंग की समस्या को खत्म करने के लिए हाजीअली में बन रही है, चार मंजिला भूमिगत पार्किंग। यह योजना उन सभी लोगों के लिए राहत की खबर हैं, जो रोजाना इस मार्ग से गुजरते हैं। आइए जानते हैं इस योजना के बारे में विस्तार से।

मुंबई के हाजी अली में प्रस्तावित चार मंजिला भूमिगत पार्किंग की नई योजना से मनपा और एलएंडटी कंपनी ने साथ मिलकर एक बड़ी उम्मीद जताई है। पहले दो मंजिला पार्किंग की योजना थी। अब इसे चार मंजिला कर दिया गया है, इसमें १,२३५ वाहन और ७० बसों के खड़े होने की जगह तैयार होगी। इस काम को २०२२ में ही मंजूरी मिल गई थी। एलएंडटी कंपनी ने अपनी योजना में बदलाव करते हुए पार्किंग को दो मंजिला से चार मंजिला कर दिया है।

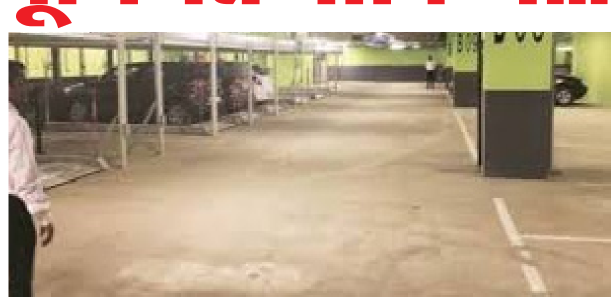

कोस्टल रोड पर यात्रा करनेवाले मोटर चालकों के लिए नई सुविधा

इससे पर्यटन बसों के लिए पर्याप्त जगह बन सकेगी। इस नई योजना का खाका सलाहकारों को पेश किया गया है। साथ ही पार्विंष्ठग स्थल की क्षमता को बढ़ाया गया है। अब यह पार्किंगगस्थल २०२६ तक तैयार होने की उम्मीद है, जबकि पहले यह मई २०२५ में तैयार होनेवाली थी। हाजी अली के रजनी पटेल चौक के पास केवल पार्किंग ही नहीं, बल्कि एक नया बस स्टॉप भी बनेगा। इसका उद्देश्य यह है कि आनेवाले पर्यटक हाजी अली दरगाह, रेस कोर्ट के सेंट्रल पार्क और समुद्री तट पर स्थित हरे-भरे क्षेत्रों को आराम से देख सकें। बसें वहां रूकेंगी और फिर पार्किंग के लिए रवाना होंगी। अपर आयुक्त अमित सैनी के अनुसार, 'हाजी अली में पार्किंग का काम तीन चरणों में पूरा किया जाएगा। पहले चरण में हाजी अली और एमर्सन में पार्किंग स्थल बनेंगे, जिनकी लागत ३,००० करोड़ रुपए से ज्यादा होगी। बता दें कि एमर्सन में २५० वाहनों के लिए एक पार्किंग स्थल बनेगा।

ठाणे : एयर होस्टेस साइबर धोखाधड़ी का शिकार; 10 लाख रुपये ट्रांसफर करने के लिए मजबूर किया

ठाणे: महाराष्ट्र के ठाणे जिले की 24 वर्षीय एयर होस्टेस साइबर धोखाधड़ी का शिकार हो गई, जिसमें उसे ''धन शोधन'' के आरोप में ''गिरफ्तारी'' से बचने के लिए लगभग 10 लाख रुपये ट्रांसफर करने के लिए मजबूर किया गया, एक अधिकारी ने शनिवार को कहा। कल्याण में रहने वाली एयर होस्टेस को 23 नवंबर, 2024 को अज्ञात फोन नंबरों से कॉल आया, जिन्होंने उसे बताया कि उसके द्वारा भेजा गया पार्सल ईरान में अपने गंतव्य तक नहीं पहुंचा है। जब पीड़िता ने कॉल करने वाले को बताया कि उसने कोई पार्सल नहीं भेजा है, तो कॉल करने वाले ने उसे वीडियो कॉल पर बताया कि उसका नाम मनी लॉन्ड्रिंग के एक मामले में आया है और गिरफ्तारी की धमकी दी, एक पुलिस अधिकारी ने कहा।

संपादकीय...

फैसल शेख
(प्रधान संपादक)

यह उथल-पुथल का साल!

प्रधानमंत्री मोदी ने नए साल पर अमन-चैन, भाईचारे और आस्था की शुरूआत की है। उन्होंने अजमेर शरीफ के ख्वाजा के दर पर आस्था की चादर भिजवाई है। यह प्रधानमंत्री की 11वीं चादर है, जिसे लेकर केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू और कुछ सचिव स्तर के बड़े अधिकारी लेकर अजमेर गए हैं। अजमेर से पहले रिजिजू ने दिल्ली में निजामुद्दीन औलिया की पाक दरगाह पर चादर चढ़ाई। प्रधानमंत्री मोदी ने यह कोशिश तब की है, जब कुछ हिंदूवादी संगठनों ने अजमेर की पाक दरगाह के नीचे शिव मंदिर होने का दावा किया है। उस शिवालय को ध्वस्त करके मुगलों ने अजमेर की मस्जिद और दरगाह बनाई थी। हालांकि अजमेर शरीफ में मुसलमानों से ज्यादा हिंदू इबादत करने, चादर चढ़ाने जाते रहे हैं। इस रवायत को नजरअंदाज कर केस अदालत में भी दर्ज कर दिया गया है। प्रधानमंत्री की आस्था की चादर से हिंदू-मुस्लिम पक्ष आमने-सामने आ गए हैं। कुछ हिंदूवादी चेहरे प्रधानमंत्री से नाराज भी बताए जा रहे हैं और वे अजमेर-संभल समेत कुछ इलाकों की मस्जिदों के नीचे मंदिर ढूंढने पर आमादा हैं, लिहाजा सर्वोच्च अदालत के आदेश का उल्लंघन करते हुए खुदाई के काम जारी हैं। क्या सर्वोच्च अदालत संज्ञान लेकर अवमानना की कार्रवाई करेगी? क्या भाजपा वाले सरसंघचालक मोहन भागवत की अपील का भी विरोध कर सकते हैं? क्या उनमें ऐसा दुस्साहस है? सरसंघचालक चाहते हैं कि अब अयोध्या में प्रभु श्रीराम मंदिर के निर्माण के बाद हरेक मस्जिद के नीचे शिवालय, महादेव का मंदिर ढूंढना बंद किया जाए। इन गतिविधियों से कोई भी व्यक्ति 'हिंदुओं का नेता' बनने का भ्रम न पाले।

बहरहाल यदि शीर्ष अदालत के आदेश का उल्लंघन किया जा रहा है, तो संभव है कि नए साल में, देश में, संविधान का संकट भी उभर सकता है! कुछ तत्त्व न तो प्रधानमंत्री की सुन रहे हैं, न संसद की बात मानना चाहते हैं और न ही सर्वोच्च अदालत का फैसला उन्हें स्वीकार्य है, नतीजतन क्या होगा? यदि देश में संविधान का संकट सामने आता है, तो हमारे लोकतंत्र की तमाम व्यवस्थाएं सवालिया हो सकती हैं! यानी गणतंत्र ही दांव पर लगाया जा सकता है! इसी साल वक्फ बोर्ड और 'एक देश, एक चुनाव' सरीखे विवादित बिल भी संसद में पारित किए जाने हैं। इन बिलों पर देश की राजनीति बिलकुल विभाजित है और सांप्रदायिक तनाव और हिंसा के हालात भी स्पष्ट हैं। सवाल है कि क्या 2025 सांप्रदायिक, वैचारिक आधार पर उथल-पुथल का साल साबित होगा? इसी साल दिल्ली, बिहार में विधानसभा चुनाव होने हैं, लिहाजा दिल्ली के उपराज्यपाल के दफ्तर ने धार्मिक स्थलों को तोड के संदर्भ में जो रहस्योद्घाटन किया है, उससे भी राजनीति बेहद गरमाएगी।

editor@rokthoklekhaninews.com
+91 8657861004
Faisal Shaikh @faisalrokthok

ROKTHOK LEKHANI NEWS
KHABREIN BE ROKTOK
Watch Us On YouTube
LIKE SHARE COMMENT SUBSCRIBE
youtube@rokthoklekhani

मुंबई में जानलेवा साबित हो रहे हैं बिजली के तार; एक साल में आग की ५,२७५ घटना

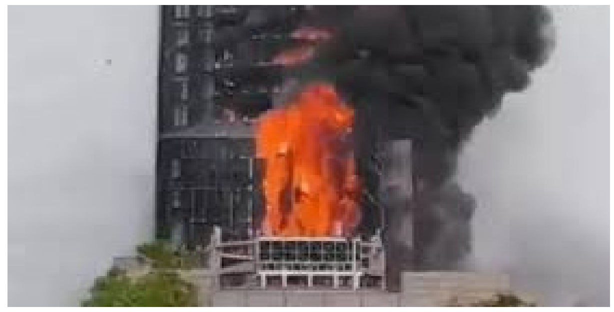

मुंबई : मुंबई में बिजली के तार अब जानलेवा साबित हो रहे हैं। एक साल में आग की ५,२७५ घटनाओं ने प्रशासन और मनपा की लापरवाही की पोल खोल दी है। २०२३ में यह आंकड़ा ५,०७४ था, जबकि २०२४ में इसमें २०१ घटनाओं का इजाफा हुआ। इन घटनाओं में शॉर्टसर्किट के कारण आग लगना सबसे बड़ी वजह है। इसका जिम्मेदार कौन है?

मनपा के अतिरिक्त आयुक्त अमित सैनी के मुताबिक, मुंबई में ८० फीसदी आग की घटनाएं शॉर्टसर्किट की वजह से होती है। अब सवाल यह उठता है कि इस पर काबू क्यों नहीं पाया जा रहा है? जब ये हादसे होते हैं तो फायर ब्रिगेड भी मौके पर पहुंचता है, पर तब तक काफी देर हो चुकी होती है। २०२३ में आग से ३० लोगों की मौत हो चुकी थी, जबकि ३०३ लोग गंभीर रूप से झुलस गए थे। २०२४ में यह संख्या बढ़कर १७६ तक पहुंच गई। ये घटनाएं सिर्फ आग तक सीमित नहीं हैं, गैस सिलिंडर फटने और वाहनों में आग लगने की घटनाएं भी बढ़ी हैं।

मुंबई फायर ब्रिगेड के आंकड़ों के अनुसार, २०२३ में कुल १५,४३४ फोन कॉल्स प्राप्त हुए। इनमें आग, वृक्ष गिरने, पानी में डूबने, घर गिरने की घटनाएं और बचाव कार्य की कॉल्स शामिल थीं। इनमें से सबसे अधिक कॉल्स आग से संबंधित थीं। इसके अलावा, फायर ब्रिगेड ने यह भी बताया कि दिवाली के समय नवंबर महीने में आग की घटनाएं बढ़कर ६६४ तक पहुंच गई थीं, जो सामान्य दिनों में ४५० के आस-पास होती हैं। लेकिन सवाल यह है कि क्या मुंबई मनपा ने इन घटनाओं को रोकने के लिए पर्याप्त कदम उठाए हैं? क्या प्रशासन ने उन खराब बिजली के तारों की जांच की है, जो हर दिन लोगों की जान का खतरा बने हुए हैं। मनपा ने जिस गति से इस समस्या को सुलझाने की कोशिश की, वह नाकाफी साबित हो रही है। इमारतों में पुराने और कमजोर बिजली के तारों की स्थिति जानलेवा है। मनपा अधिकारी की मानें तो पुराने और कमजोर बिजली के तारों को बदलने की सख्त जरूरत है, लेकिन क्या इसकी कोई ठोस कार्ययोजना दिखाई दे रही है? मुंबई की घनी बस्तियों और हाईराइज इमारतों में आग की घटनाओं ने प्रशासन को जगाने की कोशिश की है। पर क्या प्रशासन वाकई जागेगा? यह सवाल डर बनकर लोगों के मन में गूंज रहा है।

मुंबई में धड़ल्ले से वृक्षों का कत्लेआम, 15 वृक्ष अवैध रूप से काटे गए...

मुंबई : राज्य सरकार ने वृक्ष कटाई को रोकने के लिए महाराष्ट्र वृक्ष संरक्षण व जतन अधिनियम १९७५ बनाया है। फिर भी मुंबई में वृक्षों का कत्लेआम धड़ल्ले से शुरू है। कुर्ला में हुई वृक्षों की कटाई पर मनपा प्रशासन के उदासीन रवैये ने पर्यावरणप्रेमियों के मन में कई सवाल खड़े कर दिए हैं।

कुर्ला के 'एल' वार्ड अंतर्गत साकीनाका स्थित एमटीएनएल कार्यालय के सामने बंद पड़ी एक इमारत परिसर में ३ सितंबर को करीब १५ वृक्ष अवैध रूप से काटे गए। सूचना मिलते ही स्थानीय पर्यावरणप्रेमी विनोद सोनकांबले ने तत्काल मौके पर पहुंचकर घटना का वीडियो बनाया। इसके बाद उन्होंने पुलिस नियंत्रण कक्ष और मुंबई मनपा के उद्यान अधीक्षक महेश ईनिक व सुनील सांघरे को वीडियो भेजकर मामले की सूचना दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने वृक्ष काटने वाले व्यक्ति और विनोद सोनकांबले को पुलिस स्टेशन ले जाकर दोनों पक्षों का बयान दर्ज किया। फिर पुलिस ने यह कहकर मामला टाल दिया कि इस संदर्भ में मनपा ही शिकायत दर्ज करा सकती है। वहीं बार-बार शिकायत करने के बावजूद भी मनपा अधिकारी घटनास्थल पर गए ही नहीं। मनपा अधिकारी घटना के ११ दिन बाद १४ सितंबर को वहां पर दौरा करने गए तो वहां उन्हें वृक्ष काटने का कोई सबूत नहीं मिला। विनोद सोनकांबले का आरोप है कि उन्होंने घटना का वीडियो मनपा और पुलिस को दिया है, जिसमें वृक्ष काटते हुए साफ देखा जा सकता है लेकिन मनपा अधिकारियों ने वृक्ष काटने वाले को सबूत मिटाने के लिए ११ दिनों का मौका दिया। विनोद के मुताबिक, यह गैर कानूनी और महाराष्ट्र वृक्ष संरक्षण व जतन अधिनियम १९७५ का सरासर उल्लंघन है। विनोद सोनकांबले ने मुख्यमंत्री समेत मनपा और पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों को पत्र लिखकर इस पूरे प्रकरण की जांच कर वृक्ष काटने वालों पर मामला दर्ज करने और दोषी अधिकारियों पर कार्रवाई करने की मांग की है। इस संदर्भ में प्रतिक्रिया लेने के लिए 'दोपहर का सामना' के संवाददाता ने उद्यान अधीक्षक महेश ईनिक से संपर्क करने की कई कोशिशें की, लेकिन उन्होंने फोन नहीं उठाया।

मुंबई में प्रतिबंधित प्लास्टिक के उपयोग पर सख्त कार्रवाई करने की आवश्यकता

मुंबई : पर्यावरण की रक्षा के लिए मुंबई में प्रतिबंधित प्लास्टिक के उपयोग पर सख्त कार्रवाई करने की आवश्यकता है। ऐसे में यह बात सामने आई है कि मनपा और महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडल के बीच तालमेल की कमी के कारण मुंबई में प्लास्टिक पर प्रतिबंध पर घमासान मचा हुआ है। एक तरफ 'एमपीसीबी' के चेयरमैन ने फेरीवालों के साथ-साथ उपभोक्ताओं पर भी ५ से २५ हजार तक का जुमार्ना लगाने की घोषणा की है, वहीं दूसरी तरफ मनपा प्रशासन का कहना है कि चूंकि जुमार्ने की रकम ज्यादा है इसलिए इसमें संशोधन किया जाएगा। इससे असमंजस की स्थिति बन गई है।

मुंबई में बढ़ते प्रदूषण की पृष्ठभूमि में कल मनपा प्रशासन और महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अध्यक्ष सिद्धेश कदम के साथ अधिकारियों की बैठक हुई। इस बैठक के बाद आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में सिद्धेश कदम और मनपा आयुक्त भूषण गगरानी ने प्रदूषण नियंत्रण के लिए मनपा द्वारा उठाए गए कदमों की जानकारी दी। कदम ने कहा कि सरकार द्वारा २०१८ में घोषित प्लास्टिक प्रतिबंध नीति के अनुसार कार्रवाई की जा रही है। इसमें फेरीवालों और उपभोक्ताओं दोनों पर भी जुमार्ना लगाया जाएगा। इसके मुताबिक पहले अपराध पर ५०००, दूसरे अपराध पर १०,००० और तीसरे अपराध पर २५,००० का जुमार्ना लगाया जाएगा। उन्होंने यह भी घोषणा की कि यह कार्रवाई महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, पुलिस और मुंबई मनपा के समन्वय से की जाएगी।

मुंबई मनपा के पास प्लास्टिक बैन के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए जरूरी मैनपॉवर नहीं है, इसलिए कार्रवाई ठंडी पड़ी है। इसमें कोरोना काल और चुनाव अवधि के दौरान कार्रवाई रोक दी गई थी। फिलहाल छिटपुट कार्रवाई हो रही है। पहली बार लगने वाले पांच हजार का जुमार्ना भरने के लिए हॉकरों या ग्राहकों के पास पैसे नहीं हैं इसलिए कानूनी कार्रवाई करने में कर्मचारियों का समय बर्बाद होता है। इस कार्रवाई के लिए दंड को कम करने के लिए नीतिगत सुधारों की आवश्यकता है।

एयरपोर्ट पर 4.84 करोड़ रुपये के सोने की तस्करी के आरोप में दो एयरपोर्ट कर्मचारियों समेत चार गिरफ्तार

मुंबईः राजस्व खुफिया निदेशालय (डीआरआई) ने शुक्रवार को अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट पर 4.84 करोड़ रुपये के छह किलोग्राम सोने की तस्करी के आरोप में ड्यूटी-फ्री शॉप में कार्यरत दो एयरपोर्ट कर्मचारियों समेत चार लोगों को गिरफ्तार किया। एक अधिकारी ने बताया कि छत्रपति शिवाजी महाराज अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट के दो कर्मचारी अंतरराष्ट्रीय ट्रांजिट टर्मिनल से छोटे-छोटे बैचों में सोना निकालकर एयरपोर्ट के बाहर पहुंचाकर तस्करी में शामिल थे।

उन्होंने कहा, ''डीआरआई अधिकारियों को एयरपोर्ट कर्मचारियों से जुड़े एक सोने की तस्करी सिंडिकेट के बारे में विशेष जानकारी मिली थी, जिसके बाद अधिकारियों ने उन पर निगरानी शुरू कर दी।'' उन्होंने बताया कि डीआरआई की मुंबई इकाई ने एयरपोर्ट के दो कर्मचारियों को उस समय पकड़ा जब वे तस्करी का सोना एयरपोर्ट के बाहर ले जा रहे थे।उन्होंने कहा, ''पूछताछ के बाद डीआरआई अधिकारियों ने दो रिसीवर भी पकड़े।'' अधिकारी ने बताया कि तलाशी के दौरान डीआरआई अधिकारियों को पांच अंडाकार कैप्सूल और मोम के रूप में सोने की धूल के दो पैकेट मिले, जिनका वजन 6.05 किलोग्राम था और कीमत 4.84 करोड़ रुपये थी। उन्होंने बताया कि आरोपियों को सीमा शुल्क अधिनियम के प्रावधानों के तहत गिरफ्तार किया गया।

मुंबईः महिला और उसके 21 वर्षीय बेटे पर लिव-इन पार्टनर को आत्महत्या के लिए उकसाने का मामला दर्ज

मुंबईः 40 वर्षीय महिला और उसके 21 वर्षीय बेटे पर महिला के लिव-इन पार्टनर को आत्महत्या के लिए उकसाने का मामला दर्ज किया गया। मृतक, 42 वर्षीय व्यक्ति, कथित तौर पर मलाड पश्चिम के मालवानी में अपने आवास पर छत के पंखे से लटका हुआ पाया गया। पीड़ित के भाई, दीपक कांबले, 38 के अनुसार, व्यक्ति को अस्पताल ले जाया गया, लेकिन पहुंचने पर उसे मृत घोषित कर दिया गया। पीड़ित की जेब से मिले सुसाइड नोट में महिला उषा जितेंद्र चंदालिया और उसके बेटे जतिन द्वारा उत्पीड़न और शारीरिक हमले को इस कठोर कदम के लिए जिम्मेदार ठहराया गया है।

दीपक ने खुलासा किया कि उसका भाई पिछले 15 सालों से मलाड में लिबर्टी गार्डन बीएमसी कार्यालय में सफाई कर्मचारी के रूप में कार्यरत था। अपने कार्यस्थल पर ही उसकी मुलाकात उषा से हुई थी। समय के साथ, दोनों मलाड के मार्वे में एक साथ रहने लगे, जहां उषा के दो बेटे अक्सर आते थे। दीपक ने पुलिस को बताया, ''मेरा भाई उषा के साथ रहने के लिए मुलुंड में हमारे पारिवारिक घर से बाहर चला गया था। हालांकि, उसने हमसे संपर्क बनाए रखा और अक्सर हमारे पिता और बहनों से मिलने जाता था, जो मेरे साथ

रहते हैं।'' उन्होंने आगे आरोप लगाया कि उषा ने पीड़ित से दबाव में काफी रकम उधार ली थी और मना करने पर उस पर बलात्कार या हमले का आरोप लगाने की धमकी दी थी।

दीपक ने 18 नवंबर की घटना का भी जिक्र किया, जब पीड़ित पर उषा और जतिन ने कथित तौर पर हमला किया था।उन्होंने कथित तौर पर मांग की कि वह या तो अपनी नौकरी जतिन को दे दे या उन्हें ₹15 लाख दे। जब उसने मना कर दिया, तो उषा ने एक महिला एनजीओ में शिकायत दर्ज कराई, जिसमें उस पर बलात्कार का आरोप लगाया गया।दीपक ने कहा, ''इस घटना ने मेरे भाई को बहुत प्रभावित किया, और उसने अपने सुसाइड नोट में इसका जिक्र किया। उसने लिखा कि वह उषा और जतिन द्वारा लगातार शारीरिक और मानसिक शोषण के कारण खुद को घिरा हुआ महसूस करता है।'' सुसाइड नोट और दीपक की शिकायत के आधार पर, मालवानी पुलिस ने उषा और जतिन पर भारतीय न्याय संहिता की धारा 108 (आत्महत्या के लिए उकसाना), 351 (आपराधिक धमकी) और 3(5) (सामान्य इरादा) के तहत मामला दर्ज किया है। आरोपों की पुष्टि करने और अतिरिक्त सबूत जुटाने के लिए जांच जारी है।

हत्या, फिरौती, अपहरण और अवैध हथियार रखने के कई मामले में दशकों से फरार आरोपी गिरफ्तार

मुंबईः पुलिस के मुताबिक, दशकों से फरार चल रहे गिरफ्तार आरोपी की पहचान राजू विकन्या उर्फ विलास बलराम पवार के रूप में हुई है। मुंबई पुलिस को उसके ठिकाने के बारे में सूचना मिलने के बाद पवार को गिरफ्तार किया गया । पुलिस ने कहा कि उसे गुरुवार को मुंबई के चेंबूर इलाके में देखा गया था। पुलिस को सूचना मिलते ही वे चेंबूर गए और उसे गिरफ्तार कर लिया।

आरोपी के खिलाफ मुंबई के अलग-अलग पुलिस थानों में हत्या, फिरौती के लिए अपहरण और अवैध हथियार रखने के कई मामले दर्ज हैं। उसे महानगर की एक सत्र अदालत में पेश किया जाना था। अधिकारियों ने कहा कि हत्या, अपहरण और अवैध हथियार

रखने के लिए वांछित कुख्यात गैंगस्टर छोटा राजन के गुर्गे को मुंबई पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है । आरोपी पिछले 32 सालों से फरार था।

इससे पहले अक्टूबर में, बॉम्बे हाईकोर्ट ने 2001 के जया शेट्टी हत्याकांड में गैंगस्टर छोटा राजन को जमानत दे दी थी ।इससे पहले, उसे इस अपराध के लिए दोषी ठहराया गया था और आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई थी। जस्टिस रेवती मोहिते डेरे और पृथ्वीराज चव्हाण की अगुवाई वाली डिवीजनल बेंच ने 1 लाख रुपये की जमानत तय की थी। 2023 में, एक विशेष केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) अदालत ने राजन को प्रसिद्ध मुंबई ट्रेड यूनियन नेता डॉ दत्ता सामंत की हाई-प्रोफाइल हत्या की साजिश रचने के आरोप से बरी कर दिया, जिनकी 1997 में गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। हालांकि, छोटा राजन के जल्द ही जेल से रिहा होने की संभावना नहीं है, क्योंकि वह विभिन्न शहरों में कई अन्य मामलों में मुकदमे का सामना कर रहा है।

मुंबई ट्रैफिक पुलिस ने डिजिटल ड्राइविंग लाइसेंस, वाहन रजिस्ट्रेशन और पीयूसी सर्टिफिकेट को मान्यता

मुंबई : वाहन मालिकों के लिए डिजिटलीकरण और अनुपालन को सरल बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए, मुंबई ट्रैफिक पुलिस ने सभी अधिकारियों को डिजिलॉकर या एमपरिवहन ऐप में संग्रहीत ड्राइविंग लाइसेंस, वाहन रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, बीमा और प्रदूषण नियंत्रण (पीयूसी) सर्टिफिकेट की डिजिटल कॉपी स्वीकार करने का निर्देश दिया है.

यह निर्णय उन नागरिकों की शिकायतों के जवाब में आया है, जिन्हें अपने दस्तावेजों की वैध डिजिटल कॉपी प्रस्तुत करने के बावजूद ई-चालान दंड मिला है. सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने स्पष्ट किया है कि डिजिलॉकर और एमपरिवहन के माध्यम से सुलभ इन दस्तावेजों के डिजिटल संस्करण, सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 की धारा 4 और 5 के तहत कानूनी रूप से भौतिक प्रतियों के बराबर हैं. ये प्रावधान इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड और डिजिटल हस्ताक्षरों को कानूनी मान्यता प्रदान करते हैं.

अधिसूचना में इस बात पर जोर दिया गया है कि एक बार जब कोई दस्तावेज डिजिटल रूप से हस्ताक्षरित हो जाता है, तो उसे मूल भौतिक प्रति के समान ही वैध माना जाता है. इसका उद्देश्य वाहन मालिकों की असुविधा को कम करना है, जिन्हें अब अपने दस्तावेजों की भौतिक प्रतियाँ साथ रखने की आवश्यकता नहीं होगी, बशर्ते वे स्वीकृत डिजिटल प्रारूप में उपलब्ध हों.

यातायात पुलिस अधिकारियों को निर्देश दिया गया है कि वे ऐप के माध्यम से प्रस्तुत डिजिटल दस्तावेजों को सत्यापित करें और जब तक अन्य उल्लंघन न पाए जाएँ, जुर्माना जारी करने या वाहनों को जब्त करने से बचें. सभी यातायात अनुभागों में निर्देश का सख्ती से अनुपालन अपेक्षित है.

मीरा रोड : 35 वर्षीय व्यक्ति की गोली मारकर हत्या!

मुंबई : मीरा रोड पर स्थित शॉपिंग सेंटर के पास एक व्यक्ति की हत्या की खबर सामने आई है। इस घटना से पूरे इलाके में सनसनी फैल गई है। बताया जा रहा है कि शुक्रवार रात कुछ अज्ञात लोगों ने एक 35 वर्षीय व्यक्ति की गोली मारकर हत्या कर दी। घटनास्थल पर पहुंची पुलिस ने मृतक के शव को जब्त करके पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और मामले की जांच शुरू कर दी है। मृतक की पहचान व्यवसायी तबरेज अंसाली के रूप में की गई है। शॉपिंग सेंटर में इनकी चश्मे की दुकान थी। पुलिस सूत्रों के अनुसार, तबरेज अंसारी एक अपराध मामले में गवाह थे। पिछले कई दिनों से उन्हें जान से मारने की धमकियां भी मिल रही थी। उन्होंने इस संबंध में पुलिस थाने में शिकायत भी दर्ज करवाई थी। जानकारी के अनुसार, शुक्रवार रात करीब 10 बजे कुछ अज्ञात लोग आए और अंसारी के सिर में गोली मार दी, जिससे उनकी मौके पर मौत हो गई। मौके पर पहुंची पुलिस आरोपियों की पहचान करने के लिए आसपास लगे सीसीटीवी फुटेज और अन्य साक्ष्यों की जांच में जुटी हुई है।

मुंबई में मौसम के पैटर्न में तेजी से बदलाव

मुंबई, भारत का आर्थिक केंद्र, अपनी तेज रफ्तार ज़िंदगी और गगनचुंबी इमारतों के लिए जाना जाता है। इसके साथ ही, यह शहर अपने मानसूनी बारिश और समुद्री जलवायु के लिए भी प्रसिद्ध है। लेकिन पिछले कुछ दशकों में, मुंबई में मौसम के पैटर्न में तेजी से बदलाव देखने को मिले हैं। इन बदलावों का न केवल शहर की जलवायु पर प्रभाव पड़ा है, बल्कि यहां के नागरिकों के जीवन, पर्यावरण, और आर्थिक गतिविधियों पर भी इसका व्यापक असर हुआ है।

मुंबई में मौसम का बदलाव एक गंभीर समस्या है, जो शहर के भविष्य को प्रभावित कर सकती है। इस चुनौती का सामना करने के लिए सरकार, नागरिकों और संगठनों को मिलकर काम करना होगा। बेहतर योजना, जागरूकता, और ठोस कदमों से ही इस समस्या का समाधान संभव है। यदि समय रहते प्रभावी उपाय नहीं किए गए, तो आने वाले वर्षों में मुंबई को और भी गंभीर समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। मुंबई को अपने उज्जवल भविष्य के लिए सतत विकास और पर्यावरण संरक्षण की दिशा में कदम बढ़ाने होंगे।

महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (एमपीसीबी) ने सुझाव दिया है कि महाराष्ट्र राज्य सड़क विकास निगम (एमएसआरडीसी) मुंबई के प्रवेश बिंदुओं पर टोल नाकों पर यातायात की भीड़भाड़ को दूर करे. एमपीसीबी के अधिकारियों ने कहा कि चार पहिया वाहनों के लिए टोल छूट के बावजूद, यातायात की भीड़ बनी हुई है और वायु प्रदूषण में महत्वपूर्ण योगदान दे रही है. एमपीसीबी के सदस्य सचिव अविनाश ढाकाने ने कहा, ''हाल ही में हुई बैठक में, हमने टोल नाकों पर निर्बाध यातायात आवाजाही सुनिश्चित करने का सुझाव दिया था.

मुंबईः बीएमसी में नौकरी दिलाने के नाम पर रिश्वत मांगने के आरोप में के-वेस्ट वार्ड अधिकारी गिरफ्तार

मुंबई: भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (एसीबी) की मुंबई इकाई ने एक 55 वर्षीय के-वेस्ट वार्ड अधिकारी को बीएमसी में नौकरी दिलाने के नाम पर एक व्यक्ति से कथित तौर पर रिश्वत मांगने के आरोप में गिरफ्तार किया है। आरोपी लोक सेवक ने 3 लाख रुपये की रिश्वत मांगी थी। आरोपी लोक सेवक की पहचान सतीश जाधव के रूप में हुई है, जो अंधेरी में बीएमसी के के-वेस्ट वार्ड में मुकादम के पद पर तैनात है। एसीबी के अनुसार, चूंकि शिकायतकर्ता एक सुरक्षा गार्ड के रूप में काम करता था और उसे स्थायी नौकरी की आवश्यकता थी, इसलिए उसके परिचित ने शिकायतकर्ता को जाधव से मिलवाया।

जब शिकायतकर्ता ने नौकरी के संबंध में 12 दिसंबर को जाधव से मुलाकात की, तो आरोपी लोक सेवक ने शिकायतकर्ता से कहा कि वह उसे बीएमसी के कचरा संग्रहण वाहन में सफाई कर्मचारी के रूप में नौकरी दिला सकता है और बीएमसी में छह महीने बाद उसकी नौकरी स्थायी हो जाएगी। नौकरी दिलाने के लिए जाधव ने कथित तौर पर नौकरी के लिए आवश्यक कागजी कार्रवाई तैयार करने के लिए शिकायतकर्ता से 3 लाख रुपये की रिश्वत मांगी। लेकिन चूंकि शिकायतकर्ता जाधव को रिश्वत नहीं देना चाहता था, इसलिए उसने 30 दिसंबर को एसीबी मुंबई कार्यालय में जाकर शिकायत दर्ज कराई।

शिकायतकर्ता के आरोपों पर एसीबी द्वारा किए गए सत्यापन से पता चला कि जाधव ने शिकायतकर्ता को गुरुवार को आवेदन और आवश्यक दस्तावेजों के साथ आने के लिए कहा था। सत्यापन प्रक्रिया से यह भी पता चला कि जाधव ने रिश्वत राशि की पहली किस्त के रूप में 20000 रुपये स्वीकार करने पर सहमति व्यक्त की थी। इसके अनुसार, एसीबी टीम द्वारा जाल बिछाया गया और जाधव को शिकायतकर्ता से 20,000 रुपये की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों पकड़ लिया गया। जाधव के खिलाफ भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की संबंधित धारा के तहत मामला दर्ज किया गया है और बाद में उसे गिरफ्तार कर लिया गया।

हुक्का के अंदर निकोटीन और तंबाकू युक्त उत्पाद परोसे जा रहे थे... मीरा रोड स्थित रेस्टोरेंट पर छापा

मीरा भयंदर: काशीगांव पुलिस स्टेशन से जुड़े अधिकारियों ने तड़के मीरा रोड स्थित एक छत पर बने रेस्टोरेंट पर छापा मारा, जहां हुक्का के अंदर निकोटीन और तंबाकू युक्त उत्पाद परोसे जा रहे थे। मीरा-भयंदर रोड पर स्थित होटल फॉरेस्ट रूफटॉप में निकोटीन और तंबाकू युक्त हुक्का परोसे जाने की सूचना मिलने के बाद, गश्ती दल ने करीब 2:30 बजे प्रतिष्ठान पर छापा मारा और मौके से हुक्का पाइप, बर्तन और तंबाकू युक्त धूम्रपान सामग्री जब्त की। रेस्टोरेंट-सह-हुक्का ज्वाइंट के मालिक फारूक शेख (44) सहित चार लोगों को हिरासत में लिया गया और उनके खिलाफ सिगरेट और अन्य तंबाकू उत्पाद (विज्ञापन का निषेध और व्यापार और वाणिज्य, उत्पादन, आपूर्ति और वितरण का विनियमन) अधिनियम, सीओटीपीए-2003 की संबंधित धाराओं के तहत काशीगांव पुलिस स्टेशन में मामला दर्ज किया गया। हर्बल तंबाकू मुक्त हुक्का परोसने की आड़ में शहर में संचालित होने वाले कई अवैध बार और दुकानें अवैध व्यापार के अड्डे में तब्दील हो गए हैं।

सांताक्रूज की 67 वर्षीय महिला से ₹1.58 करोड़ की ठगी

मुंबई: शहर में 'डिजिटल गिरफ्तारी' के एक और मामले में, सांताक्रूज की 67 वर्षीय महिला को अज्ञात साइबर जालसाजों ने ₹1.58 करोड़ की ठगी की, जिन्होंने खुद को कूरियर कंपनी के अधिकारी, सीबीआई अधिकारी और मुंबई पुलिस अधिकारी बताया। जालसाजों ने शहर के डीसीपी मनीष कलवानिया के नाम का इस्तेमाल करते हुए महिला को छह दिनों तक 'डिजिटल गिरफ्तारी' में रखा, जिनका कार्यालय बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स (बीकेसी) में है।

सांताक्रूज के वकोला निवासी 67 वर्षीय महिला द्वारा दर्ज कराई गई शिकायत के बाद साइबर पुलिस ने अज्ञात जालसाजों के खिलाफ मामला दर्ज किया है। पुलिस ने बताया कि महिला को 26 नवंबर को एक अज्ञात नंबर से कॉल आया। कॉल करने वाले ने खुद को एक कूरियर कंपनी का प्रतिनिधि बताया और महिला को बताया कि उसने ताइवान को जो पार्सल भेजा था, उसमें ड्रग्स थे और इसलिए उसे कानून प्रवर्तन एजेंसियों को भेज दिया गया है। महिला ने ताइवान में कोई पार्सल भेजने से इनकार किया, लेकिन धोखेबाजों ने उसे सीबीआई से संपर्क करने और मामला दर्ज करने के लिए कहा। फर्जी कूरियर कंपनी के कर्मचारियों ने उसे सीबीआई से संपर्क करने में मदद करने का वादा किया और जल्द ही, उसे एक व्यक्ति का व्हाट्सएप कॉल आया जिसने खुद को सीबीआई अधिकारी होने का दावा किया। उसने महिला से कहा कि उसके खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग और ड्रग्स ट्रांसपोर्टेशन के मामले शुरू किए गए हैं। जब महिला ने आरोपों से इनकार किया, तो फर्जी सीबीआई अधिकारी ने उससे कहा कि वह उसे 'डिजिटल गिरफ्तारी' के तहत रख रहा है। पुलिस अधिकारी ने कहा, "उसने उसे चल रही जांच के बारे में किसी से बात न करने का निर्देश दिया और उसे शारीरिक गिरफ्तारी की धमकी दी।"

मुंबईः अग्नि सुरक्षा को बढ़ाने के लिए 90 हेक्टेयर खुले स्थानों के भीतर दो अग्निशमन केंद्रों का निर्माण

मुंबई: बृहन्मुंबई नगर निगम (बीएमसी) तटीय सड़क पर भूमि सुधार के माध्यम से बनाए गए 90 हेक्टेयर खुले स्थानों के भीतर दो अग्निशमन केंद्रों का निर्माण करके अग्नि सुरक्षा को बढ़ाने के लिए तैयार है। इन केंद्रों का उद्देश्य तटीय सड़क सुरंगों और आस-पास के शहरी क्षेत्रों में आग की घटनाओं पर त्वरित प्रतिक्रिया सुनिश्चित करना है।

हालांकि, बीएमसी को सर्वोच्च न्यायालय (एससी) से अनुमति लेने की आवश्यकता होगी, क्योंकि पुनः प्राप्त भूमि खुली जगहों और गैर-वाणिज्यिक विकास तक ही सीमित है। अतिरिक्त नगर आयुक्त अमित सैनी ने सुप्रीम कोर्ट से मंजूरी की आवश्यकता की पुष्टि की। उन्होंने कहा, "जब हम पुनः प्राप्त भूमि पर फायर स्टेशन और अन्य विकास के लिए स्थानों को अंतिम रूप दे देंगे, तो हम न्यायालय का दरवाजा खटखटाएंगे।" बीएमसी के तटीय सड़क विभाग के एक अधिकारी के अनुसार, तटीय सड़क सुरंग के प्रवेश द्वार के पास एक फायर स्टेशन प्रस्तावित है, संभवतः अमरसंस गार्डन के पास। शहर के भीतर घटनाओं के लिए त्वरित प्रतिक्रिया की सुविधा के लिए अन्य स्टेशन को तटीय सड़क के साथ रणनीतिक रूप से रखा जाएगा।

अधिकारी ने बताया कि अग्निशमन केंद्रों की योजना अग्निशमन विभाग की आवश्यकताओं के अनुसार बनाई जा रही है, जिसके तहत सुरंगों के पास फायर ब्रिगेड वाहनों की निरंतर उपस्थिति अनिवार्य है। एक अन्य अधिकारी ने कहा, "हम अभी भी योजना के प्रारंभिक चरण में हैं।" "फायर ब्रिगेड और वाहनों की आवाजाही के लिए उपयुक्त स्थानों की पहचान करने के बाद, हम एक प्रस्ताव का मसौदा तैयार करेंगे और सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे। इस प्रक्रिया में दो से तीन महीने लगने की उम्मीद है।" अदालत में आवेदन मुख्य रूप से एक औपचारिक अधिसूचना के रूप में काम करेगा।

मुलुंड पश्चिम में तेज रफ्तार ट्रक की चपेट में आने से 20 वर्षीय महिला की मौत

मुंबई: मुलुंड पश्चिम में एक तेज रफ्तार ट्रक की चपेट में आने से 20 वर्षीय महिला की मौत हो गई। पुलिस अधिकारियों ने बताया कि घटना सुबह करीब 11:20 बजे हुई, जब मृतक शालू यादव, 20 वर्षीय, अपने चाचा अमरजीत यादव को टिफिन देने जा रही थी, जो मुलुंड पश्चिम में पीरामल टॉवर में सुरक्षा गार्ड के रूप में काम करते हैं।

गुरुवार को सुबह करीब 11 बजे वह अपने घर से निकली थी। जब वह श्रीराम पाड़ा सर्विस रोड के पास पहुंची तो पीछे से आ रहे तेज रफ्तार ट्रक ने उसे टक्कर मार दी। स्थानीय लोगों ने उसे मुलुंड के अग्रवाल अस्पताल पहुंचाया, जहां उसे मृत घोषित कर दिया गया। पुलिस ने मृतक के पिता के बयान के आधार पर ट्रक चालक के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। चालक को गुरुवार दोपहर गिरफ्तार कर लिया गया।

टोइंग वैन ने एसयूवी को टक्कर मार दी... चार लोगों की मौत!

मुंबई: महाराष्ट्र के रायगढ़ जिले में मुंबई-गोवा राजमार्ग पर शुक्रवार को एक टोइंग वैन ने एसयूवी को टक्कर मार दी, जिसमें चार लोगों की मौत हो गई और तीन घायल हो गए, एक पुलिस अधिकारी ने बताया। यह घटना तड़के हुई और टोइंग वैन के ड्राइवर को गिरफ्तार कर लिया गया, क्योंकि वह नशे में गाड़ी चला रहा था, अधिकारी ने बताया। "आठ लोगों को लेकर लोनेरे जा रही एक स्कॉर्पियो महाड़ में रुकी, जब ड्राइवर को पता चला कि उसका ईंधन टैंक खाली हो गया है। तेज रफ्तार टोइंग वैन ने एसयूवी को टक्कर मार दी, जिससे चार लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि तीन लोग घायल हो गए और उन्हें स्थानीय ग्रामीण अस्पताल में भर्ती कराया गया। घायलों में से एक की हालत गंभीर है, जबकि अन्य दो खतरे से बाहर हैं," उन्होंने कहा।

अधिकारी ने बताया, "प्रसाद नाटेकर, समीर मिंडे, सूर्यकांत मोरे, साहिल शेलार, सभी 25-30 आयु वर्ग के थे, जिनकी मौके पर ही मौत हो गई। वे महाड के निवासी हैं। टोइंग वैन चालक के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता और मोटर वाहन अधिनियम के प्रावधानों के तहत लापरवाही से मौत और अन्य अपराधों का मामला दर्ज किया गया है।" उन्होंने बताया कि शराब की जांच के लिए आरोपी के रक्त के नमूने एकत्र किए गए हैं।

मालिक, मुद्रक, प्रकाशक, संपादक फैसल शेख ने सोमानी प्रिन्टिंग प्रेस, गाला नं.4, एन. के. इंडस्ट्रीयल इस्टेट, प्रवासी इंडस्ट्रीयल इस्टेट के अंदर, गेट नं. 2, गोरेगांव (पूर्व), मुंबई- 400063 से छपवाकर रूम नं 15 रमजान बिन 17 सी वंजावडी, माहिम वेस्ट मुंबई :4000 16 से प्रकाशित किया। मोबाइल नं 998777 5650, Email-editor@rokthoklekhaninews.com

www.rokthoklekaninews.com facebook@rokthoklekhani youtube@rokthoklekhani twitter@rokthoklekhani